इकाई – 9 भारतीय प्रशासनः महत्वपूर्ण मुद्दे

अध्याय 25
मंत्री–लोक सेवक सम्बन्ध
(Minister-Civil Servant Relationship)

आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली सिद्धान्ततः अत्यन्त सुदृढ़ एवं आदर्श के नजदीक दिखाई देती है वही व्यवहारतः अनेक समस्याओ से घिरी हुई है वस्तुतः प्रशासन का केन्द बिन्दु मानव है मानवीय व्यवहार की अनिश्चतता अनेक प्रकार की समस्याओ को जन्म देती है जिसमे मंत्री लोक सेवक सम्बन्ध प्रमुख हैं।

संसदीय शासन प्रणाली वाले देशो मे यह समस्या अपेक्षाकृत अधिक गभीर एवं जटिल है ससंदीय प्रणाली वाले देश जैसे भारत, ब्रिटेन मे दो भिन्न तरह की कार्यपालिका कार्यरत होती है प्रधान मंत्री कैबीनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री राजनीतिक कार्यपालिका की श्रेणी में आते है ये जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं! ये चूंकि संसद मे विश्वास मत प्राप्त होने तक ही अपने पद तक बने रह सकते हैं इसलिए इन्हें अस्थाई कार्यपालिका की संज्ञा भी दी जाती हैं वही मंत्रियों को प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी (लोक सेवक) होते हैं, ये दलगत राजनीति का हिस्सा नहीं होतें हैं, तथा इनका चयन योग्यता के आधार पर स्थायी रूप से होता हैं। इसलिए इन्हे अराजनीतिक या स्थायी कार्यपालिका के रूप में जाना जाता हैं। इन दोनों के मध्य मधुर संबंध ही प्रशासनिक कुशलता की नींव हैं।

मंत्री–लोक सेवक : सापेक्षिक भूमिका

संसदीय व्यवस्था में मंत्री एवं लोक सेवक दोनों एक दूसरें के पूरक हैं। इन्हें सरकारी गाडी रूपी तंत्र के दो पहिए कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी भूमिका परस्पर सापेक्ष हैं। इस व्यवस्था में मंत्री मंत्रालय/विभाग प्रमुख होता है एवं निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है :

1. नीति निर्माण;
2. महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामलों पर निर्णयन;
3. नीतियों के कियान्वयन पर निगरानी;
4. उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु;
5. जन शिकायतों के समाधानकर्ता के रूप में;

लोक सेवक मंत्री के प्रमुख परामर्शदाता के रूप में निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है :

1. नीतियों और निर्णयों को लागू करने हेतु;
2. नीति निर्धारण के समय आवश्यक सूचनाऐं,तथ्य एवं परामर्श हेतु;
3. अधीनस्थ कार्यों की देखरेख और उन्हें निर्देश देने;
4. प्रशासन में निरंतरता बनाए रखनें हेतु;

पिफनर ने मंत्री और लोक सेवक के बीच भेद को बहुत ही अच्छे ढंग से विवेचित किया है :

मंत्री	लोक सेवक
1. अनुभवहीन	व्यवसायिक
2. गैर–तकनीकी	तकनीकी
3. पक्षपाती	गैर–पक्षपाती
4. अस्थायी	स्थायी
5. अधिक जन संपर्क	कम जन संपर्क
6. अधिक विधायी संपर्क	कम विधायी संपर्क
7. अधिक नीति निर्धारण	कम नीति निर्धारण
8. अधिक निर्णय	अधिक परामर्श
9. अधिक समन्वयन	अधिक निष्पादन
10. तकनीकी राय से प्रभावित	अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा संग्रहित तकनीकी आंकड़ों से प्रभावित ।

मंत्री–लोक सेवक संबंधों के निर्धारक घटक

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्री विभाग का सर्वेसर्वा होता है परन्तु विभाग की बारीकियों का उन्हें प्राय ज्ञान नहीं होता इसलिए उनकी प्रशासनिक सहायता एवं सलाह हेतु प्रशासनिक सचिवों की नियुक्ति की जाती है। हर्बर्ट मॉरीसन के अनुसार, नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है। इन दोनों वर्गों के मध्य संबंधो के निर्धारक घटकों की विवेचना हम निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर कर सकते है।

प्रशासनिक विशेषज्ञता :

योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली से प्रशासन में प्रवेश पाए हुए तथा आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त लोक सेवक प्रशासनिक कार्यों के विशेषज्ञ होते है। वही मंत्रीयों की नियुक्ति का आधार राजनीतिक होता है। उनका प्रशासनिक ज्ञान न्यून होता है। सिडनी लॉ ने कहा है, – "वित मंत्राालय में द्वितीय श्रेणी के लिपिक का पद प्राप्त करने के लिए एक नवयुवक को अंकगणित की परीक्षा में अवश्य उतीर्ण होना पड़ेगा, पर वित मंत्री अधेड़ उम्र का एक ऐसा सांसारिक व्यक्ति भी हो सकता है जो अकों के विषय की अपनी उस थोड़ी–बहुत जानकारी को भूल चुका हो, जो उसने ईटन अथवा ऑक्सफोर्ड से प्राप्त की हो और दशमलव में लगाए गए खजाने को उसके सामने रखे जाने पर अनजान की तरह उन अकों का मतलब जानने के लिए उत्सुक हो।"

मंत्रीयो के पद अस्थाई होते हैं, उनके विभाग भी बदलते रहते है। उनके पास इतना समय भी नहीं होता है कि वह प्रशासनिक बारीकियों को समझ सकें। मंत्री कि अयोग्यताऐं एवं सीमाऐं भी उसे कई बार सचिव के सामने दयनीय बना देती है। जार्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, – ''हमारी ब्रिटेन राजनीतिक व्यवस्था में कठपुतली नाम की कोई वस्तु है तो वह है सार्वजनिक विभाग का एक मंत्री।''

राजनीतिक स्थिति : संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में मंत्रियों की पहचान राजनीतिक होती है, मंत्री राजनीतिक दल के सदस्य होते है। जब तक संसद में दल को बहुमत प्राप्त हो, वे तब तक ही पद पर बने रह सकते है। बहुमत समाप्त होने की स्थिति में उन्हें अपने पद से हटना होता है। लोक सेवक अराजनीतिक एवं स्थायी होते हैं एवं दलीय तौर पर तटस्थ एवं निष्पक्ष होते हैं।

भिन्न दृष्टिकोण : मंत्रियों के चयन का आधार योग्यता न होकर राजनीतिक होता है। इसलिए उनका दृष्टिकोण व्यवसायिक या विशेषज्ञ न होकर लोकप्रिय मत से प्रभावित होता है। जबकि प्रशासक पूर्णतः व्यावसायिक दृष्टिकोण पर बल देते है। इसलिए मंत्री का दृष्टिकोण व्यापक होता हैं ,जबकि लोक सेवक का संकुचित।

कार्यशैली : मंत्री की कार्यशैली वस्तुतः इस बात पर निर्भर करती है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। यदि मंत्री का व्यक्तित्व प्रभावी है, तो वह लोक सेवकों पर हावी रहता है। वही दूसरी और साधारण व्यक्तित्व वाले मंत्री लोक सेवकों पर निर्भर करते है। इस संदर्भ में रेम्जेम्योर का मत है कि – '' जब तक मंत्री कोई स्वाभिमानी गधा न हो या असाधारण विवेक शक्ति और साहस से परिपूर्ण व्यक्ति न हो तो सौ में से निन्यानवें प्रकरणों में वह लोक सेवक के विचार को ही स्वीकार कर लेता है तथा अंकित पंक्ति पर हस्ताक्षर कर देता है।''

मंत्रीमंडलीय उत्तरदायित्व की भावना : मंत्रीमण्डल उत्तरदायित्व संसदीय शासन व्यवस्था का आधार है जिसके तहत् मंत्री अपने विभागीय कार्यो के लिए अंतिम रूप से संसद एवं जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यद्यपि वास्तविक रूप में समस्त कार्यो का निर्वहन लोक सेवकों द्वारा किया जाता है परन्तु वे अनामता के सिद्वान्त पर कार्य करते है। अर्थात् विभागीय कार्यों के लिए आलोचना एवं प्रशंसा मंत्री की ही होती है। इसी कारण लोक सेवक न तो अच्छे कार्यो की प्रशंसा प्रत्यक्षतः ले पाते है, और न ही बुरे परिणामों पर संसद एवं जनता की आलोचना का शिकार बनते हैं।

संक्षेप में, कहा जा सकता है कि मंत्री–लोक सेवक सम्बन्ध अनेक घटकों से निर्धारित् होता है। मंत्री की दल में स्थिति, दृष्टिकोण, कार्यशैली व्यक्तित्व इत्यादि इसका निर्धारण करते है।

सामान्यतः मंत्री की अयोग्यताऐं एवं सीमाऐं उसे लोक सेवक पर निर्भर कर देती है। यद्यपि यह सत्य है कि मंत्री लोक सेवकों से प्रभावित होते है परन्तु कठपुतली कहना अतिशयोक्ति प्रतीत होता है। ऐसा तभी संभव है जब या तो मंत्री का व्यक्तित्व प्रभावशाली न हो या फिर उसके दल की फिर स्थिति कमजोर हो।

मंत्री–लोक सेवक सम्बन्ध : विभिन्न मत

मंत्रियों और लोक सेवकों के पारस्परिक संबन्ध विषय में विद्वानों में प्रायः मतभेद है कुछ विद्वानों का मानना है कि लोक सेवकों का मंत्रियों पर इतना प्रभाव है कि मंत्री, लोक सेवकों के इशारों पर काम करते है । जार्ज बर्नार्ड शॉ ने तो मंत्री को कठपुतली तक की संज्ञा दे डाली।

ब्रिटिश विद्वान लॉर्ड हीवर्ट ने भी लोक सेवकों की बढ़ती हुई शक्तियों की ओर संकेत करते हुए उसे **नवीन निरंकु□ाता** की संज्ञा दी। हीवर्ट का मत है कि ''नौकर शाही की बढ़ती हुई शक्ति ने इन विभागों केा संसद से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है तथा यह न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते जा रहे है। इसी प्रकार का मत रैम्जेम्योर व्यक्त करते है उनके अनुसार – ''हमारी शासन प्रणाली में नौकरशाही की शक्ति बहुत ज्यादा है, चाहे प्रशासन हो, विधायन हो या वित्त हो, मंत्रीय उत्तरदायित्व के पर्दे में नौकरशाही फ्रेकन्सटिन के दैत्य की भाँति पनपी और विकसित हुई और अब वह अपने पैदा करने वाले को ही खा जाना चाहती है।

''वस्तुतः प्रशासन संचालन का दायित्व मंत्री का होता है। परन्तु कानून निर्माण की जटिलता, मंत्री की प्रशासनिक अनभिज्ञता, अस्थाईत्व ऐसे अनेक कारण है जिससे मंत्री की निर्भरता लोक सेवक पर बढ़ जाती है। परन्तु जार्ज बनार्ड शॉ, लार्ड हीवर्ट, रैम्जेम्योर सभी के व्यक्तव्य अतिशयोक्तिपूर्ण जान पड़ते है। क्योंकि ना ही मंत्री का व्यक्तित्व इतना कमजोर होता है। और ना ही वो इतना अयोग्य कि लोक सेवक उस पर पूर्णतः हावी हो जाए कुछ नौसिखिए, दुर्बल व्यक्तित्व वाले मंत्रियों पर ही यह बात सही कही जा सकती है। सम्भवतः इस बात की उपेक्षा कर दी गई है कि पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति अवश्य ही प्रतिभा का धनी होता है और प्रायः ऐसी अनेक परिस्थितियों से गुजर चुका होता है कि जिससे प्रशासनिक बातों का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। वे लोक सेवकों द्वारा दिए गए प्रत्येक परामर्श का औचित्य–अनौचित्य देखकर निर्णय कर सकते है।

हैरॉल्ड लास्की ने भी मंत्री–लोक सेवक सम्बन्ध को वस्तुतः उनके व्यक्तित्व पर आधारित माना है। लास्की ने मंत्रियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है :

(1) शक्तिशाली व्यक्तित्व (2) लोकप्रिय व्यक्तित्व
(3) प्रभावहीन ।

शक्तिशाली एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी मंत्री विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं का समाधान अपने विवेक से करने में समर्थ होते है। वे लोक सेवक पर निर्भर नहीं रहते है। लोकप्रिय व्यक्तित्व वाले मंत्री अपनी लोकप्रियता से लोक सेवकों पर हावी रहते है न कि व्यक्तित्व के कारण। प्रभावहीन मंत्री, लोक सेवकों पर निर्भर होते है।

निष्कर्षतः मंत्री लोकतंत्र के प्रहरी है जो लोक सेवकों द्वारा दिय गए परामर्श पर आधारित प्रशासन का लोकतंत्रीकरण करते है। लोक सेवक शक्तिशाली अवश्य है परन्तु इतना नहीं कि लोकतंत्र उनके हाथों बिक जाए। दोनों का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है और दोनों ही अन्योन्याश्रित है । मुनरों ने लिखा है कि – ''प्रथम (मंत्रीगण) प्रशासन में लोकतंत्रीय तत्व की और द्वितीय (लोक सेवकों) कर्मचारियों तंत्र के तत्व की व्यवस्था करता है। दोनों ही आवश्यक है – एक सरकार को लोकप्रिय बनाने के

लिए और दूसरा उसे कार्यकुशल बनाने के लिए । एक सुन्दर प्रशासन की परख यही है कि लोकतन्त्र और कार्यक्षमता का सफल संयोजन हो जाए।''

परस्पर मतभेद के कारण : यद्यपि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्री–लोक सेवक के मध्य सामजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। मंत्री–नीति निर्माता है तो लोक सेवक नीति लागू कर्त्ता। परन्तु व्यवहारतः दोनों में अनेकानेक कारणों से मतभेद उजागर होते रहते है। मतभेद के कारणों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है।

1. मंत्री आमतौर पद लोक सेवकों की स्वतंत्र, स्पष्ट और निष्पक्ष सलाह को प्रोत्साहित नहीं करते। इससे परस्पर समझ विकसित नहीं हो पाती। प्रशासनिक सुधार आयोग का कथन है ''बहुत से मंत्रियों में अपने सचिव या सहायक की स्वतंत्र और निष्पक्ष सलाह मानने के प्रति अनिच्छा का भाव होता है।''
2. मंत्रियों द्वारा अपनी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग कर लोक सेवकों को स्थानान्तरित और निलंबित किए जाने के कारण लोक सेवकों में भय की व्याप्ति होती है। बहुत कम लोक सेवक ही ऐसे होते है, जो इस दबाव को झेल पाते है और लालच से उबर पाते है। एस.आर.माहेश्वरी ने इस निराशाजनक स्थिति की और संकेत करते हुए कहा है कि –''राजनीतिक और स्थायी अधिकारियों के बीच संबन्धों में कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही है। यही नहीं अब इन सम्बन्धों पर शंका और संदेह की छाया पड़ने लगी है और आज किसी नौकरशाह की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होती है कि वो सुरक्षित रहकर काम करें तथा मात्र रूटीन किस्म की पहल करें और किसी तरह काम निपटा दे। इससे अत्यधिक सलाह लेने–देने की प्रवृत्ति पनपती है और अधिकांश मामले निर्णय लेने हेतु आगे की तरह भेज दिये जाते है।''
3. मंत्रीयों और लोक सेवकों को अपनी–अपनी भूमिका के बारे में परस्पर समझबूझ का अभाव है। मंत्रियों द्वारा प्रशासक के दिन–प्रतिदिन के कार्यों में दखल देने की प्रवृत्ति रहती है और लोक–सेवकों द्वारा मंत्री की स्थिति न समझते हुए सार्थक प्रयासों के स्थान पर नियमों पर अधिक बल दिया जाता है। वस्तुतः लोक सेवक नीति निर्माण करना चाहते है तथा मंत्री नीति क्रियान्वयन में हस्तक्षेप चाहते है। भूमिका परिवर्तन (Role Reversion) की यह स्थिति निराशाजनक है।
4. मंत्रियों में असफलता का आरोप लोक सेवकों पर डालने की प्रवृत्ति रहती है। छागला आयोग ने इस संदर्भ में कहा था कि– ''मंत्रीय उत्तरदायित्व सिद्धान्त के दो आयाम है : अपने प्राधिकार क्षेत्र में मंत्री को पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त है तथा मंत्री को अपने सेवकों द्वारा किए गए कार्य की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।''
5. धर्म, जाति, सामाजिक–राजनीतिक संस्कृति में भिन्नता भी विवाद के कारण रहे है।

समाधान :

किसी को देश के लोक कल्याणकारी उद्देश्यों की प्राप्ति तथा विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए लगी। लोक सेवकों के मध्य समुचित समझ आवश्यक है। सिद्धान्ततः मंत्री विभाग के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है तथा लोक सेवक उसका परामर्शदाता। दोनों का रिश्ता परस्पर विश्वास का है अतः इन दोनों के मध्य समन्वय एवं सामंजस्य जरूरी है। दोनों के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव विचारणीय है :

1. यद्यपि नीति –निर्धारण मंत्री का विशेषाधिकार है परन्तु व्यवहार में उसे सचिव के परामर्श पर पूरा ध्यान देना चाहिए। साथ ही, क्रियान्वयन के स्तर पर हस्तक्षेप से बचना चाहिए।
2. सचिव का यह कर्त्तव्य है कि वह पूर्ण सूचनाओं के साथ मंत्री को परामर्श दे तथा नीति बन जाने पर उसे उसे पूरी योग्यता एवं निष्ठा से लागू करें।
3. मंत्रि यों द्वारा, लोक सेवकों के साथ राजनीतिक, विद्वेषपूर्ण व्यवहार न किया जाए।
4. मंत्री और लोक सेवक के मध्य हुए विचार–विमर्श का संक्षिप्त विवरण रखा जाना चाहिए। यदि किसी महत्वपूर्ण मामले में उनमें मतभेद हों तो दोनों के ही मत लिखे जाने चाहिए।
5. लोक सेवकों की जवाबदेही पूर्णतः मंत्री के प्रति एवं मंत्री की संसद तथा जनमत के प्रति होनी चाहिए।
6. मंत्री लोक सेवक विवाद के समाधान हेतु प्रधानमंत्री और मंत्रीमण्डल सचिव को तुरंत कदम उठाने चाहिए।
7. लोक सेवा के राजनीतिकरण को रोकने हेतु अनामता और तटस्थता के सिद्धान्तों पर बल देने की आवश्यकता है।

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस क्रम में निम्नलिखित सुझाव दिये थे :

1. यदि मंत्री, सचिव के सुझाव से असहमत हो या किसी प्रकरण पर सरकार की सुस्पष्ट नीति न हो तो ऐसी स्थिति में समस्त निर्णयों को कारण सहित लिखना चाहिए।
2. दोनों के मध्य भयमुक्त, विश्वासपूर्वक तथा न्यायोचित व्यवहार होना चाहिए।
3. गंभीर प्रकृति की भूल या कुशासन के अतिरिक्त अन्य मामलों में मंत्री को चाहिए कि वे प्रशासन में हस्तक्षेप न करें।
4. लोक सेवकों को चाहिए कि वे मंत्रियों की राजनीतिक व्यस्तता को समझें तथा तद्नुसार सहयोग करें।
5. प्रधानमंत्री को चाहिए कि वह मंत्री –सचिव के मध्य सम्बन्ध सुधारने की और ध्यान दे।
6. मंत्री के प्रति सचिव का अधिकारिक सम्बन्ध निष्ठा का तथा सचिव के प्रति मंत्री का रिश्ता विश्वास का होना चाहिए।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. आधुनिक प्रशासन प्रणालियाँ व्यवहारतः अनेक समस्याओं से धिरी हुई है जिसमें मंत्री–लोक सेवक सम्बन्ध प्रमुख है। मंत्री विभाग प्रमुख होता है एवं निम्नलिखित कार्य करता है।

(1) नीति निर्माण (2) निर्णयन (3)नीतियों के क्रियान्वयन पर निगरानी।(4) उच्च पदों पर नियुक्ति (5) जन शिकायतों का समाधानकर्त्ता।

2. लोक सेवक मंत्री का प्रमुख परामर्शदाता होता है एवं निम्नलिखित कार्य करता है।

1. नीतियों और निर्णयों का लागू करना।
2. मंत्री को आवश्यक तथा सूचनाऐं भेजना।
3. अधीनस्थों को निर्देश देना ।
4. प्रशासन में निरन्तरता बनाए रखना।

3. पिफनर ने मंत्री एवं लोक सेवकों के मध्य विभिन्न आधारों पर भेद किया है ।

4. भारतीय शासन प्रणाली में दोनों के मध्य संबन्धों के निर्धारक धटक निम्नलिखित है :

(अ). मंत्रियों की प्रशासनिक अनभिज्ञता और लोक सेवकों की प्रशासनिक विशेषज्ञता।

(ब). मंत्रियों की राजनीतिक पद स्थिति और सेवकों की अराजनीतिक ।

(स) मंत्रियों का लोकप्रिय दृष्टिकोण और लोक सेवकों की व्यावसायिक दृष्टिकोण।

(द) मंत्री का व्यक्तित्व प्रभावी तो लोक सेवकों पर हावी, अन्यथा लोक सेवक पर निर्भर।

(य) मंत्रीमण्डलीय उत्तरदायित्व की भावना।

5. दोनों के मध्य संबन्धों में तनाव के निम्नलिखित कारण रहे है

1. मंत्री लोक सेवकों की स्वतंत्र,स्पष्ट और निष्पक्ष सलाह को प्रोत्साहित नहीं करते।
2. मंत्रियों द्वारा लोक सेवकों पर दबाव हेतु स्थानान्तरण एवं अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग।
3. मंत्रीयों और लोक सेवकों का अपनी–अपनी भूमिका के बारे में परस्पर समझबूझ का अभाव।
4. धर्म, जाति, सामाजिक–राजनीतिक संस्कृति में भिन्नता।

6. दोनों में मधुर संबंध प्रशासनिक कार्यकुशलता का आधार है दोनों में सम्बन्धों को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव विचारणीय है :

1. मंत्री को नीति–निर्माण करते समय लोक सेवकों की परामर्श पर पूरा ध्यान देना चाहिए।

2. सचिव को नीति पूरी योग्यता एवं निष्ठा से लागू करनी चाहिए।

3. मंत्रियों द्वारा, लोक सेवकों से राजनीतिक विद्वेषपूर्ण व्यवहार न किया जाए।

4. लोक सेवकों की निष्ठा पूर्णतः मंत्री के प्रति तथा मंत्री की जवाबदेहिता विधायिका के प्रति होनी चाहिए। 5. लोक सेवकों के दैनिक कार्यो में मंत्रियों द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

7. प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार निम्नलिखित सुझाव विचारणीय है :

1. दोनों के मध्य भयमुक्त, विश्वासपूर्वक् तथा न्यायोचित वातावरण होना चाहिए।

2. गम्भीर प्रकृति के मामलों के अतिरिक्त, मंत्री को प्रशासन के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए।

3. यदि मंत्री सचिव से असहमत हो तो सभी निर्णयों को कारण सहित संक्षेप में लिखना चाहिए।

4. मंत्री के प्रति सचिव का आधिकारिक संबन्ध निष्ठा का तथा सचिव के प्रति मंत्री का रिश्ता विश्वास को होना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न :

बहुचयनात्मक प्रश्न :

1. पिफनर ने निम्नलिखित में से किस आधार को मंत्री का नहीं बताया है।
(अ) अनुभवहीन (ब) गैर–तकनीकी
(स) पक्षपाती (द) स्थायी

2. कौनसा प्रमुख कार्य मंत्री का नहीं है ?
(अ) नीति निर्माण करना (ब) नियुक्ति एवं स्थानान्तरण
(स) निर्णयन् (द) परामर्श दाता

3. किस विचारक ने नौकरशाही को ''फ्रेकेन्सटीन के दैत्य की तरह'' कहा है ?
(अ) लॉर्ड हीवर्ट (ब) सिडनी लॉ
(स) पिफनर (द) जॉर्ज बर्नार्ड शॉ

4. किस विचारक की मान्यता है कि मंत्री लोक सेवकों के हाथ की कठपुतली है।
(अ) जॉर्ज बर्नार्ड शॉ (ब) लास्की
(स) रेम्जेक्योर (द) लॉर्ड हीवर्ट

5. मंत्री–लोक सेवक सम्बन्धों से सम्बन्धित आयोग है?
(अ) छागला आयोग (ब) होता आयोग
(स) सतीश चन्द्र आयोग (द) कोई भी नहीं

6. मंत्री–लोक सेवक सम्बन्ध पर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिए गए सुझाव है।

(अ) मंत्रियों के लोक सेवकों के लिए भयमुक्त वातावरण बनाना चाहिए।
(ब) विवाद की स्थिति में निर्णय लिखित में होने चाहिए।
(स) प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे मंत्री–सचिव सम्बन्ध सुधारने की ओर ध्यान दें।
(द) उपर्युक्त सभी

7. नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है'' किसने कहा है ?
(अ) रैम्जे म्योर (ब) जॉर्ज बनार्ड शॉ
(स) हर्बर्ट मॉरीसन (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. राजनीतिक कार्यपालिका से आप क्या समझते है ?
2. स्थायी कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है ?
3. मंत्रीमण्डल उत्तरदायित्व का सिद्धान्त क्या है ?
4. मंत्री–लोक सेवक सम्बन्ध के निर्धारक घटक कौनसे है ?

5. मंत्री–लोक सेवक सम्बन्ध में तनाव के दो कारण बताए।
6. प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिए गए कोई दो सुझाव लिखें ।

लघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. अस्थायी एवं स्थायी कार्यपालिका में अन्तर को स्पष्ट करें।
2. मंत्रीमण्डल उत्तरदायित्व सिद्धान्त का क्या अभिप्राय है?
3. क्या आप इस मत से सहमत है कि मंत्री लोक सेवकों के हाथों की कठपुतली है ? कारण सहित बताऐं।
4. ''नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है। '' कैसे ?
5. मंत्री लोक सेवक संबन्धों के निर्धारक घटक कौनसे है?
6. छागला कमीशन ने मंत्रीमण्डल उत्तरदायित्व सिद्धान्त की क्या व्यवस्था की है?
7. लोक सेवकों की बढ़ती हुई शक्ति को नवीन निरंकुशता किसने कहा है और क्यों ?
8. भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में मंत्री –लोक सेवक विवाद के चर्चित प्रकरण कौन–कौनसे है ?

निबन्धात्मक प्रश्न :

1. मंत्री–लोक सेवक सम्बन्ध संसदीय शासन प्रणाली की सर्वाधिक जटिल समस्याओं में से एक है, व्याख्या कीजिए।
2. मंत्री–लोक सेवक सम्बन्धों के निर्धारक घटक कौन–कौनसे है ?
3. मंत्री–लोक सेवक सम्बन्धों में तनाव के प्रमुख कारण क्या–क्या है ? स्पष्ट कीजिए।
4. मंत्री–लोक सेवक सम्बन्धों को मधुर एवं बेहतर बनाने हेतु प्रशसनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के सन्दर्भ में उनके समाधान के उपाय बताईए।

उत्तर माला :

1. (ब) 2. (द) 3. (अ) 4. (अ)
5. (अ) 6. (द) 7. (स)